



प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 06 अक्टूबर, 2026

विषय:- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी मांगेराम पुत्र श्री जयनरायन, निवासी जनपद-गाजियाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-47796/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-19.12.2025) दिनांक-30.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी मांगेराम पुत्र श्री जयनरायन, जो भूपखेड़ी, थाना-लौनी, जनपद-गाजियाबाद का निवासी है। पाँच हजार रुपये उधार माँगने के विवाद को लेकर दिनांक 26.01.2011 को बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लोहे के हथियार व चाकू से मारकर लीलेराम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-498/2011, भा०द०वि० की धारा- 302, 201 के अन्तर्गत मा० प्रथम अपराध जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 06.11.2015 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.02.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 11 माह, 09 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- बन्दी द्वारा पाँच हजार रुपये उधार माँगने के विवाद को लेकर दिनांक 26.01.2011 को बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लोहे के हथियार व चाकू से मारकर लीलेराम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण को प्रोवेशन बोर्ड की बैठक में विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रोवेशन बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिसे सक्षम स्तर (श्री राज्यपाल) के निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया। तत्क्रम में बन्दी की कम आयु, बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध एवं जिला प्रोवेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर सिद्धदोष बन्दी मांगेराम पुत्र श्री जयनरायन की सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मांगेराम (बन्दी संख्या-377/2023) पुत्र श्री जयनरायन, निवासी जनपद-गाजियाबाद को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1378/2026/2535(1)/22-2-2025 तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
- 2- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।
- 3- निजी सचिव, मा० मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

दिनांक: 06 अक्टूबर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी मांगेराम पुत्र श्री जयनरायन, जो भूपखेडी, थाना-लौनी, जनपद-गाजियाबाद का निवासी है। पाँच हजार रुपये उधार माँगने के विवाद को लेकर दिनांक 26.01.2011 को बंदी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लोहे के हथै व चाकू से मारकर लीलेराम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-498/2011, भा०द०वि० की धारा- 302, 201 के अन्तर्गत मा० प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 06.11.2015 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.02.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 11 माह, 09 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

बंदी द्वारा पाँच हजार रुपये उधार माँगने के विवाद को लेकर दिनांक 26.01.2011 को बंदी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लोहे के हथै व चाकू से मारकर लीलेराम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण को प्रोबेशन बोर्ड की बैठक में विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिसे सक्षम स्तर (श्री राज्यपाल) के निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया। तत्क्रम में बन्दी की कम आयु, बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर सिद्धदोष बंदी मांगेराम पुत्र श्री जयनरायन की सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।